



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032026-270682
CG-DL-E-05032026-270682

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1111]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2026/फाल्गुन 14, 1947

No. 1111]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2026/PHALGUNA 14, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
आदेश
नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026

का.आ. 1163(अ).—ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई के अध्यक्ष को ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नई का अध्यक्ष बने रहने के अतिरिक्त 'भारती जी पटेल बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य [विविध अपील डायरी सं. 1683/2025 और इससे संबंधित कार्यवाहियों]' की अपील के मामले में निर्णय देने के लिए ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुंबई के अध्यक्ष का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[फ़ा.सं. 09/07/2026-डीआरटी]

सुधीर श्याम, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

ORDER

New Delhi, the 5th March, 2026

S.O. 1163(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby authorises the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai to discharge also the functions of the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai for deciding the appeal in the matter of ‘Bharti G. Patel Vs Punjab National Bank & Ors. [Misc. Appeal Diary No. 1683 of 2025 and its connected proceedings]’, in addition to his being the Chairperson of the Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai.

[F. No. 09/07/2026-DRT]

SUDHIR SHYAM, Economic Adviser